

दोजे के महत्वपूर्ण अहकाम व मसाइल

[हिन्दी]

نبذ في الصيام

[اللغة الهندية]

लेख

शैख़ مुहम्मद बिन सालोह अल-उसैमीन राहिमहुल्लाह
فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفیق الرحمن ضیاء اللہ المدنی

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्बा, रियाज, सऊदी अरब

1428 -2007

islamhouse.com

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.

निम्नलिखित पंक्तियों में रोज़ा, उस के हुक्म, रोज़े के विषय में लोगों के विभिन्न वर्ग, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों और अन्य लाभकारक बातों का संछिप्त रूप से वर्णन किया जा रहा है।

१. फ्रज के उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचाव कर के अल्लाह की उपासना करने को रोज़ा (ब्रत) कहते हैं।
२. रमज़ान का रोज़ा इस्लाम के महान स्तम्भों में से एक स्तम्भ है। इस लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:
“इस्लाम की नीवँ पाँच स्तम्भों पर स्थापित है: इस बात की गवाही (साक्ष्य) देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल (संदेशवाहक) हैं, नमाज़ क़ार्फ़ा करना, ज़कात (अनिवार्य धर्म-दान) देना, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना और अल्लाह के पवित्र घर (काबा) का हज्ज करना।”

रोज़े के विषय में लोगों के विभिन्न वर्ग:

१. प्रत्येक बालिग (व्यस्क) आकिल (समझ बूझ रखने वाले) सामर्थ्य मुकीम (गैर मुसाफिर) मुसलमान पर रोज़ा रखना अनिवार्य है।
२. काफिर व्यक्ति रोज़ा नहीं रखे गा और न ही इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात उस पर रोज़े की क़ज़ा (पूर्ति करना) वाजिब है।
३. छोटे नाबालिग बच्चे पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है, किन्तु उसे रोज़ा रखने की आदत (अभ्यास) डालने के लिए रोज़ा रखने का आदेश दिया जाये गा।
४. पागल व्यक्ति पर न तो रोज़ा रखना अनिवार्य है और न ही उसकी ओर से खाना खिलाना, चाहे वह वयोवृद्ध (बूढ़ा) ही क्यों न हो। और यही हुक्म बुद्धिहीन और बकवादी (बकवासी) वयोवृद्ध व्यक्ति का भी है जिनके अन्दर जानने पहचानने की शक्ति नहीं होती।
५. किसी स्थायी (सर्वदा) कारण की बिना पर रोज़ा रखने से असमर्थ व्यक्ति जैसा कि वयोवृद्ध और ऐसा रोगी जिसके स्वस्थ होने की आशा न हो तो वह प्रत्येक दिन के बदले में एक मिसकीन (धनहीन) को खाना खिलाएगा।

६. वह रोगी जिस का रोग सामयिक (थोड़े समय के लिए) हो जिस से स्वस्थ होने की आशा हो, तो ऐसा व्यक्ति यदि उस पर रोज़ा कठिन पड़े तो वह रोज़ा तोड़ सकता है और स्वस्थ होने के पश्चात उसकी कज़ा (पूर्ति) करेगा।
७. गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों पर यदि गर्भ या दूध पिलाने के कारण रोज़ा रखना कठिन हो अथवा उन्हें अपने बच्चों पर हानि पहुँचने का भय हो तो वह दोनों रोज़ा तोड़ सकती हैं और कठिनाई और भय के दूर होने के पश्चात उसकी कज़ा करेंगी।
८. हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (प्रसव अवस्था) वाली स्त्रियाँ हैज़ और निफास की अवस्था में रोज़ा नहीं रखेंगी और (बाद में) छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करें गीं।
९. किसी मासूम (निर्दोष) को डूबने या जलने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ने पर मजबूर व्यक्ति रोज़ तोड़ देगा ताकि उस की जान बचा सके और बाद में उस रोज़े की कज़ा करेगा।
१०. यात्री (मुसाफिर) यदि चाहे तो रोज़ा रखे और चाहे तो रोज़ा तोड़ दे और बाद में जिन दिनों का रोज़ा तोड़ दिया है उन की कज़ा करे, चाहे उसकी यात्रा हंगामी (वक्ती तौर पर) हो जैसाकि उम्रा की यात्रा और चाहे सर्वदा (स्थायी) हो जैसाकि किराये की गाड़ियाँ (टैक्सी) चलाने वाले लोग, यदि वे लोग चाहें तो जब तक वे अपने शहर से बाहर (यात्रा में) रहते हैं रोज़ा तोड़ सकते हैं।

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें :

यदि रोज़ेदार भूल चूक से या अज्ञानता में या मजबूर (बाध्य) किये जाने पर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में से किसी चीज़ को कर लेता है तो उस से रोज़ा नहीं टूटता है। इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَلْنَا﴾

“हे हमारे प्रभु! यदि हम भूल गये हों अथवा ग़लती की हो तो हमारी पकड़ न करना। (सूरतुल बक़रा: २८६)

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمِئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾

“(जो व्यक्ति अपने ईमान के पश्चात अल्लाह से कुफ्र करे) उसके सिवाय जिसे बाध्य किया जाये तथा उसका दिल ईमान पर स्थित हो।”
(सूरतुन-नहल: १०६)

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنَّ مَا تَعْمَدُتْ قُلُوبُكُمْ﴾

“तुम से भूल छूक से जो कुछ हो जाये उस में तुम पर कोई पाप नहीं, परन्तु पाप वह है जिस का तुम दिल से निश्चय करो।” (अल-अहज़ाबः ५)

अतः यदि रोज़ेदार भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा फासिद (व्यर्थ) नहीं होगा; क्योंकि उसने ऐसा भूल कर किया है। और यदि वह यह समझते हुए खा ले या पी ले कि सूर्य डूब गया है या अभी फज्ज उदय नहीं हुआ है तो उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा; क्योंकि उसने ऐसा अनजाने में किया है। और यदि कुल्ली करते समय बिना इच्छा के रोज़े दार के हलक़ (गले) में पानी चला जाये तो उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि उसने जान बूझ कर नहीं किया है।

रोज़ा तोड़ने वाली चीजें आठ हैं जो इस प्रकार हैं:

(क) सम्भोग करना: यदि कोई रोज़ेदार जिस पर रोज़ा अनिवार्य है रमज़ान के महीने में दिन के समय सम्भोग कर ले तो उस पर (उस दिन के रोज़े की) क़ज़ा के साथ महान कफ़ारह भी अनिवार्य है, और वह यह है: एक गुलाम (दास) आज़ाद करना, यदि गुलाम न मिले तो लगातार दो महीने रोज़ा रखना, अगर इस की भी शक्ति न हो तो साठ मिस्रीनों को खाना खिलाना।

(ख) बेदारी की अवस्था में हस्त मैथुन या चुम्बन द्वारा, या चिपकने या चिपकाने या आलिंगन करने से या अन्य किसी चीज़ के द्वारा वीर्य निकालना।

(ग) खाना या पीना चाहे लाभदायक वस्तु हो या हानिकारक सामग्री, जैसे कि बीड़ी-सिगरेट पीना।

(घ) ताक़त का इंजेक्शन लगवाना जो कि खाने का काम देता हो, इसलिए कि वह खाने और पीने के अर्थ में है, परन्तु वह इंजेक्शन जो ताक़त न पहुँचाता हो, उस से रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे उसे पब्झों में लगाया जाये या रगों में, और चाहे गले में उसका स्वाद महसूस करे या न करे।

(च) खून चढ़ाना, उदाहरण के तौर पर किसी रोज़ेदार व्यक्ति का रक्तस्राव हो जाए, तो उसके निकले हुए रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उसे खून चढ़ाया जाए।

(छ) स्त्री के हैज़ (मासिक धर्म) और निफास (बच्चा जनने के समय) का खून निकलना।

(ज) सींगी (पछना) आदि द्वारा खून निकालना, किन्तु यदि स्वयं खून निकल आए जैसे कि नक्सीर फूटना या दाँत आदि उखड़वाने से खून निकलना, तो इस

से रोज़ा नहीं टूटता है। इसलिए कि यह न तो सींगी है और न सींगी लगवाने के समार्थ है।

(झ) जान बूझ कर उल्टी करना, यदि बिना इच्छा और इरादा के स्वयं उल्टी हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है।

लाभदायक बातें:

१. रोज़ेदार के लिए जाइज़ है कि वह जनाबत (अर्थात पत्नी से संभोग करने अथवा स्वपनदोष में वीर्य निकलने) की अवस्था में रोज़े की नीयत (इरादा) कर ले, फिर फज्ज निकलने के पश्चात स्नान करे।
२. यदि स्त्री रमज़ान में हैज़ (मासिक धर्म) या निफास (बच्चा जनने के समय निकलने वाले खून) से फज्ज के निकलने से पूर्व पवित्र हो जाए तो उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य है, यद्यपि वह फज्ज निकलने के पश्चात स्नान करे।
३. रोज़ेदार के लिए अपने दाँत उखड़वाना, ज़ख्म का दवा इलाज करवाना, आँखों या कानों में दवा डालना जाइज़ है और इस से रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे द्राप का स्वाद उस के गले में महसूस हो।
४. रोज़ेदार के लिए दिन के प्रारम्भिक और अन्तिम पहर में मिस्वाक करना जाइज़ है, और यह उसके हक्क में मस्नून है जिस प्रकार बेरोज़ेदारों के लिए मस्नून है।
५. रोज़ेदार के लिए वह काम करना जाइज़ है जिस से वह गरमी और प्यास की अधिकता को कम कर सके जैसे कि पानी और एयूरकंडीशनर के द्वारा ठंडक प्राप्त करना।
६. रोज़ेदार के लिए दबाव और तनाव आदि के कारण उत्पन्न होने वाली साँस की कठिनाई (तंगी) को कम करने के लिए अपने मुँह से इन्हेलर लेना जाइज़ है।
७. रोज़ेदार के लिए अपने होठों को यदि वह सूख जायें तो गीला करना जाइज़ है, और यदि उसका मुख सूख जाये तो वह कुल्ली कर सकता है किन्तु पानी से गरारा नहीं करेगा।
८. रोज़ेदार के लिए मस्नून यह है कि सेहरी को फज्ज के कुछ देर पहले तक विलम्ब करे (अर्थात फज्ज निकलने से कुछ देर पहले सेहरी खाये) और सूर्यास्त के (तुरन्त) बाद रोज़ा खोलने में शीघ्रता करे। और रोज़ा रुतब (गीली खजूर) से खोले, यदि वह न मिले तो (सूखी) खजूर से इफ्तारी करे, यदि वह भी उप्लब्ध न हो तो पानी से रोज़ा खोले, यदि पानी भी न मिले तो किसी भी हलाल खाना से रोज़ा खोल दे, और यदि वह भी न हो तो

अपने दिल में रोज़ा खोलने की नीयत कर ले यहाँ तक कि खाना उपलब्ध हो जाये।

६. रोज़ेदार के लिए मस्नून है कि अधिक से अधिक नेकियाँ (पुण्य का कार्य) करे और सभी प्रकार की मनाहियों और निषिद्ध बातों से बचे।

७०. रोज़ेदार के लिए अनिवार्य है कि वाजिबात (इस्लाम धर्म में आवश्यक एंव अनिवार्य चीज़ों) की पाबन्दी करे तथा हराम (निषिद्ध और वर्जित) चीज़ों से दूर रहे, चुनाँचे पाँचों समय की नमाज़ें उनके ठीक समय पर और जमाअत के साथ पढ़े यदि वह उन लोगों में से है जिन पर जमाअत वाजिब है। तथा झूठ, चुगली, धोकाधड़ी, सूदी कारोबार और प्रत्येक हराम (निषिद्ध) बात या काम छोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

“जो व्यक्ति झूठ बोलने, झूठ पर अमल करने और नासमझी और नादानी से बाज़ न आए तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी छोड़ दे।”

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

*atazia75@gmail.com